

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.नि.आ. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, महानिदेशक के क्वालिटी आश्वासन समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचितविवीय पद (ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-II, फोटोग्राफर श्रेणी-I और फोटोग्राफर श्रेणी-II) भर्ती नियम, 2001, को जहाँ तक उनका संबंध फोटोग्राफर श्रेणी-I और फोटोग्राफर श्रेणी-II के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रान्त करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में फोटोग्राफर श्रेणी-I और फोटोग्राफर श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ग' पद (फोटोग्राफिक कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. फोटोग्राफर श्रेणी-I	18* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचितविवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति : ऐसा फोटोग्राफर श्रेणी II जिसने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए अर्हता की गणना में किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	लागू नहीं होता।
<ol style="list-style-type: none"> संयुक्त नियंत्रक, क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (उपस्कर), देहरादून —अध्यक्ष नियंत्रणालय, क्वालिटी आश्वासन (उपस्कर) देहरादून से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य नियंत्रणालय, क्वालिटी आश्वासन (गोला-बारूद) किरकी, पुणे से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य नियंत्रणालय प्रशासन, मुख्यालय, महानिदेशालय क्वालिटी आश्वासन से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. फोटोग्राफर श्रेणी-II	29* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200—20200 + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	27 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 उत्तीर्ण (बाहरवीं कक्षा उत्तीर्ण) के समतुल्य और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
2. किसी मान्यताप्राप्त संगठन में एक वर्ष फोटोग्राफी का अनुभव ।		
<p>टिप्पण : उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुभव संबंधी अर्हत (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।</p>		
(10)	(11)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	

14294/12-3

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में
विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. स्थापन का प्रधान | —अध्यक्ष |
| 2. संबंधित स्थापन का समूह 'क' अधिकारी | —सदस्य |
| 3. केन्द्र या निकटतम केन्द्र में क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय
के अन्य स्थापन से समूह 'क' अधिकारी | —सदस्य |

[फा. सं. ए/86320/आर आर/फोटो/ग्रुप 'सी'/डीजीक्यूए/प्रशा-10/792/डी(क्यू ए)/2012]

सुभाष चंद, अवर सचिव

New Delhi, the 1st May, 2012

S.R.O. 27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General Quality Assurance Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial posts (Senior Photographer Grade-II, Photographer Grade-I and Photographer Grade-II) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the posts of Photographer Grade-I and Photographer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Photographer Grade-I and Photographer Grade-II, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance under the Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Posts (Photographic Staff) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Photographer Grade-I.	18* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus grade Pay of Rs. 2800	Non-selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Not applicable			Not applicable	Not applicable	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption, to be made		
(10)			(11)		
By Promotion			Promotion : Photographer Grade-II in the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 with the five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Consultation in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—	Not applicable.
1. Joint Controller, Controllorate of Quality Assurance (Instruments), Dehradun. —Chairman	
2. Group 'A' officer of Controllorate of Quality Assurance (Instruments), Dehradun. —Member	
3. Group 'A' officer of Controllorate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune. —Member	
4. Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Photographer Grade-II.	29* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade pay 2400	Not applicable	Not exceeding twenty seven years (Relaxable for departmental candidates upto the age of 40 years in case of general candidates and 45 years in case of candidates belonging to the Schedules Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland Mizoram, Manipur, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : In case of the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
1. 10+2 pass (12th class pass) equivalent from a recognised Board or University and possessing Diploma in Photography from a recognised University or Institute.	Not applicable	Two years
2. One year experience in Photography from a recognised Organisation.		
Note : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :	Not applicable.
1. Head of the establishment	—Chairman
2. Group 'A' officer of the concerned establishment	—Member
3. Group 'A' officer from another establishment of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby station	—Member

[F. No. A/86320/RR/Photo/Group 'C'/DGQA/Adm-10/792/D(QA)/2012]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.नि.आ. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय समूह 'ग' और 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (फेरोप्रिटर श्रेणी-I और फेरोप्रिटर श्रेणी-II और फेरोप्रिटर श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में फेरोप्रिटर श्रेणी-I, फेरोप्रिटर श्रेणी-II और फेरोप्रिटर श्रेणी-III के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद (फेरोप्रिटर श्रेणी-I, फेरोप्रिटर श्रेणी-II और फेरोप्रिटर श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2012 है।

1429 4612-4